मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 29/9/2011.

कमांक एफ–20-28 /2011/बी–ग्यारहः– शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 9/8/2011 में अनुमोदित संलग्न परिशिष्ट अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका कमांक 5.19 के अनुकम में ''सम्भावनापूर्ण स्थलों/औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बहुमंजिला औद्योगिक काम्पलेक्स विकसित किये जाने की योजना'' प्रसारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0: एफ 20-28/2011/बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक : 29/9/2010
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन/म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, भोपाल
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, समस्त
8. संयुक्त उद्योग संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, समस्त
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

"परिशिष्ट"

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका कमांक 5.19

संभावनापूर्ण स्थलों/औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बहुमंजिला औद्योगिक काम्पलेक्स विकसित किये जाने की योजना

1. **नीति :–** उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका कमांक 5.19 में संभावनापूर्ण स्थलों/औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए विभागीय निगमों अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी से भूमि का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से बहुमंजिला औद्योगिक काम्पलेक्स बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. **परियोजना चिन्हन –** प्रथम चरण में प्रदेश के कुछ चुने हुए जिलों में इस योजना का कियान्वयन किया जावेगा, विशेषकर ऐसे नगरों में जहाँ कम भूमि के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है।

3. **स्थल चयन–** परियोजना हेतु स्थल का चयन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के मापदण्ड अनुसार किया जावेगा । चिन्हित भूखण्ड का न्यूनतम् आकार–1500 वर्गमीटर, निर्मित क्षेत्र 50 प्रतिशत् एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात (FAR) 1.5 रखा जावेगा ।

4. **संभाव्यता सर्वेक्षण एवं परियोजना अनुमोदन:–**

(अ) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम्पलेक्स की संभावनाओं, उपयुक्तता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन मॉडल सुझाने का कार्य संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा किया जावेगा ।

(ब) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों हेतु संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के परामर्श व सहायता से काम्पलेक्स की संभावनाओं, उपयुक्तता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन मॉडल सुझाने का कार्य किया जावेगा।

(स) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक काम्पलेक्स की परियोजना का अनुमोदन संबंधित म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति उद्योग आयुक्त से प्राप्त की जाकर संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा ।

(द) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्र मे परियोजना हेतु चयनित स्थल का आधिपत्य संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को परियोजना विकसित करने हेतु सौंपा जायेगा ।

(ई) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा काम्पलेक्स की संभावनाओं, उपयुक्तता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन मॉडल सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रोफेशनल कन्सलटेंट के माध्यम से तैयार करायी जायेगी ।

5. **प्रारंभिक व्यय :–** परियोजना संबंधी प्रारंभिक व्यय औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्वयं के वित्तीय स्त्रोतो से किया जावेगा और नगर तथा ग्रामीण नियोजन एवं स्थानीय निकाय से संबंधित अनुमोदन भी एकेव्हीएन/संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिसकी भी भूमि पर परियोजना क्रियान्वित की जाना है, द्वारा ली जावेगी।

6. **चरणबद्ध कार्ययोजना :–** परियोजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जावेगा :–

6.1 **कन्सलटेंट का चयन–** एमपीएसआईडीसी/ट्राइफेक द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंट पैनल का चयन किया जायेगा । यह पैनल 2 वर्ष के लिए होगा। पैनल में अधिकतम 5 कंसल्टेंट होंगे। अनुमोदित पैनल कंसल्टेंट से किसी भी परियोजना का संभाव्यता सर्वेक्षण, डीपीआर बनवाना आदि संबंधी कार्य कराया जा सकेगा।

6.2 **परियोजना चयन –** म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा काम्पलेक्स की परियोजना लागत, उपयुक्तता, आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण स्वयं/ प्रोफेशनल कंसल्टेंट के माध्यम से पूर्ण कर प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त स्थल का चयन किया जावेगा।

6.3 **प्रस्ताव का प्रशासकीय अनुमोदन –** संबंधित म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जिसके क्षेत्र मे परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है, द्वारा उक्त कंडिका 4 में वर्णित प्रकिया अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

6.4 **वित्तीय व्यवस्था –** परियोजना हेतु यथा आवश्यकता एस.पी.व्ही. (Special Purpose Vehicle) का गठन भी किया जा सकेगा। वित्तीय व्यवस्था औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों, निजी भागीदारी तथा ऋण के माध्यम से की जावेगी। यह भी किया जा सकेगा कि परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था के दौरान ही आवेदकों का चयन खुली निविदा पद्धति से किया जाकर उनसे प्रस्तावित अधोसंरचना निर्माण की राशि विभिन्न चरणों में ली जावे ताकि ऋण आदि न लेना पड़े।

6.5 **विभिन्न विभागों से अनुमति/अनुज्ञप्तियों की प्राप्ति** – वित्तीय व्यवस्था के दौरान ही म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस.पी.व्ही./जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न विभागों यथा नगर तथा ग्रामीण नियोजन, स्थानीय निकाय एवं अन्य संबंधित एजेंसीज से चाही जाने वाली अनुमति/अनुज्ञप्तियां प्राप्त की जायेंगी।

6.6 **निविदा आमंत्रण व निर्माण एजेंसी का चयन** – समस्त प्रकार की अनुमति/ अनुज्ञप्ति प्राप्ति के समानान्तर विकास/निर्माण कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण, कंसल्टेंट द्वारा तैयार व यथोचित प्रपत्रों में नियमानुसार किया जावेगा । उच्च गुणवत्ता एवं कम लागत वाली निर्माण एजेंसी का चयन सक्षम समिति द्वारा पारदर्शी पद्धति से किया जावेगा। यथा आवश्यकता तकनीकी क्षमता व फायनेंसियल निविदा अलग-अलग बुलायी जा सकेगी।

7. **स्थल आवंटन प्रक्रिया** – भवन निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही गैर प्रदूषणकारी सूक्ष्म/लघु /सेवा/आनुषांगिक प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र/अधोसंरचना आवंटन करने के लिए राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों के माध्यम से औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस. पी.व्ही. द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे। आवंटन हेतु कियान्वयन एजेंसी अथवा सक्षम समिति द्वारा प्रक्रिया निर्धारण कर निविदा पद्धति से आवेदकों का चयन किया जावेगा। चयनित आवेदकों द्वारा चयन सूचना की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत ऑफर मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी, तदोपरान्त ही आवेदक को विधिवत् आवंटन किया जावेगा ।

8. **इकाईयों को आधिपत्य सौंपना** – आवेदकों के चयन एवं आवंटन उपरांत आधिपत्य सौंपने का कार्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस.पी.व्ही. द्वारा किया जावेगा एवं आवश्यक लीज/एग्रीमेंट का निष्पादन आदि किया जायेगा।

9. **इकाईयों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ करना** – इकाई द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के 12 माह के अंदर उत्पादन प्रारंभ करना होगा । उत्पादन प्रारंभ न करने की स्थिति में नियमानुसार वर्क एरिया निरस्तीकरण की कार्यवाही औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।

10. बहुमंजिला औद्योगिक काम्पलेक्स विकसित करते समय आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा मानकों एवं प्रदूषण नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जावे।

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग